धानमंडी और आसपास के बाजारों में पानी सप्लाई नहीं

नगर निगम का जल सप्लाई शेड्यूल गड़बड़ाया

अब कई जगह सिर्फ दस से 15 मिनट ही आपूर्ति

भास्कर संवाददाता | रतलाम

नगर निगम की जल सप्लाई व्यवस्था गड़बड़ा गई है। शुक्रवार को धानमंडी एवं आसपास के बाजारों में पानी सप्लाई नहीं हुई। इससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से यही स्थिति है। वहीं यदि जल सप्लाई होती भी है तो सिर्फ 10 से 15 मिनट तक। इससे लोगों के घरों का पानी भी नहीं भर पाता है।

धानमंडी के साथ ही नाहरपुरा, गणेश देवरी, नीमचौक, श्रीमाली वास एवं आसपास के क्षेत्रों की भी यही स्थिति है और पानी सप्लाई नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। धानमंडी के रहवासी संजय पारख ने बताया डेढ़ महीने से यही स्थिति है। नलों में पानी नहीं आने से दिक्कत आ रही है। कभी बोलते हैं कि शाम को पानी की सप्लाई होगी तो कभी बोलते हैं कि सुबह पानी की सप्लाई होगी। यदि सप्लाई होती है तो भी नलों में दस से पंद्रह मिनट पानी आता है और फिर सप्लाई बंद हो जाती है। पूरी गर्मी यही स्थिति रही। शिकायत करो तो कोई सुनने वाला तक नहीं है। आए दिन यही स्थिति है। नगर निगम को सप्लाई व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। भास्कर

दैनिक भास्कर 17/7/21

प्रदेश में नगरीय निकाय व पंचायत आम चुनाव की तैयारी

निकायों के लिए दो व पंचायतों के लिए तीन चरणों में होगा मतदान

स्वदेश ब्यूरो, भोपाल

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों व पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पंचायतों से पहले नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। कोविड को ध्यान में रखते हुए निकायों के लिए मतदान दो व त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए तीन चरणों में होगा। यह निर्णय गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं। इनमें से 347 में आम चुनाव कराये जाना है। इनमें 16 नगर निगम भी शामिल हैं। शेष 60 निकायों को छोड़ उक्त सभी निकायों का कार्यकाल करीब छह माह पूर्व खत्म हो चुका है। इसे देखते हुए चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पूर्व ही कराए जाने थे,ये लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इनमें विलंब हुआ। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण व टीकाकरण कार्यक्रम को देखते हुए आयोग ने अब चुनाव कराने का फैसला लिया है।

पहले चरण में 155 निकायों के लिए होगा मतदानः इसी तारतम्य में गुरुवार को आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि पहले नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। इसके लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 155 और दूसरे में 192 निकायों के लिए चुनाव होंगे। निकाय चुनाव के लिए कुल 19 हजार 955 मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। आयोग मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन गत 3 मार्च को कर चुका है।

विस में संशोधित विधेयक लाने की तैयारी

आज संपन्न बैठक में आयोग ने महापौर व अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली (मौजूदा व्यवस्था अनुसार) से कराने की बात कही,लेकिन राज्य मंत्रि परिषद उक्त पदों के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय ले चुकी है। इसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाना था,लेकिन इसी बीच राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी होने से इसे टाल दिया गया। अब इसके लिए विधानसभा के अगले सत्र में संबंधित संशोधित विधेयक लाने की तैयारी है। दरअसल,उक्त पदों के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की व्यवस्था भाजपा शासनकाल में पूर्व से लागू रही है लेकिन तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सियासी कारणों से विधानसभा में संशोधित विधेयक पेश कर इसे पलट दिया था।

तो नए साल में निकायों में होगी नई सरकार

आयोग की उक्त तैयारी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नगरीय निकायों के चुनाव इस साल के अंत तक पूरे करा लिए जाएं। ऐसा हुआ तो नए साल में नगरीय निकायों को नई सरकार मिलेगी। वहीं पंचायत चुनाव ग्रीष्म काल तक कराए जा सकते हैं।

23 हजार 912 सरपंच चुने जाएंगे

बैठक में तय हुआ कि त्रि-स्तरीय पंचायतों(जिला,जनपद व ग्राम) के चुनाव 3 चरण में करवाये जायेंगे। ग्राम पंचायतों में पंच के 3 लाख 77 हजार 551, सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत सदस्य के 6 हजार 833, जिला पंचायत सदस्य के 904, उप सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 313 और जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 52 पदों के लिए मतदान होगा।

कोविड अनुकूल व्यवहार जरूरी

निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने तैयारियों को लेकर प्रत्येक व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मतदान उपरांत उपयोग की जाने वाली अमिट स्याही की खरीदी,निकाय चुनाव में ईवीएम रखने वाले स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हर स्तर पर किया जाए।

आरक्षण का मामला शीघ्र सुलझने के आसार

प्रदेश के करीब 83 निकायों में पदों की आरक्षण प्रक्रिया का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। दरअसल,आयोग की उक्त प्रक्रिया को ग्वालियर खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। इस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आयोग के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। माना जा रहा है कि आरक्षण प्रक्रिया में आवश्यक सुधार कर यह मामला अब शीघ्र सुलझा लिय जाएगा। ऐसा हुआ तो निकाय चुनाव इसी साल हो सकेंगे।

स्वदेश

स्वदेश 17/7/21

रतलाम में क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकसित करने का आग्रह

विधायक काश्यप ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को सौंपा मांग-पत्र

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मांग पत्र सौंपते हुए विधायक चेतन्य काश्यप। ● नईदुनिया

रतलाम। शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर उन्हें मंत्री बनने पर बधाई-शुभकामनाएं दी। काश्यप ने सिंधिया को मांग पत्र सौंपकर रतलाम एयर स्ट्रीप को क्षेत्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का आग्रह भी किया।

विधायक ने बताया कि रतलाम में 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में विशेष निवेश क्षेत्र बनने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा एमपीआइडीसी को भूमि का आवंटन भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान इस निवेश क्षेत्र को विकसित करने की घोषणा की है। रतलाम के समीप से ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे भी गुजर रहा है और रतलाम रेलवे का मुख्य जंक्शन होकर काफी संभावनाओं वाला शहर है। रतलाम में एयरपोर्ट नहीं है। सैलाना रोड स्थित बंजली हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए एयरपोर्ट अथारिटी इंदौर के दल द्वारा सर्वे भी कर लिया गया है। अतः रतलाम में जल्द से जल्द क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकसित करने का आग्रह किया गया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आश्वस्त किया कि रतलाम में क्षेत्रीय एयरपोर्ट का विकास करने में वे विशेष रुचि लेंगे। इसके लिए राज्य सरकार से समन्वय कर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रतलाम से उन्हें विशेष लगाव है। मंत्री बनने से ठीक पूर्व उनका रतलाम का प्रवास सदैव स्मरण पटल पर बना रहेगा।

नईदुनिया। 17/7/21

बंजली हवाई पट्टी को क्षेत्रीय एयरपोर्ट

कलेक्टर पुरूषोत्तम ने निगम अधिकारियों को दिए निर्देश

सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के साथ निगम का राजस्व बढ़ायें

प्रसारण न्यूज़ * रतलाम

नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने तथा नगर निगम की आय में वृद्धि किये जाने हेतु कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ निगम अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में सफाई कार्य व निगम की अचल संपत्तियों की जानकारी लेकर सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने व निगम की अचल संपत्तियों के विक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर पुरुषोत्तम ने सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में किये जा रहे सफाई कार्य की जानकारी लेकर एक सप्ताह में ओर अधिक सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि शहर में कचरा तब दिखाई देता है जब 100 प्रतिशत कचरे का संग्रहण नहीं हो रहा होता है इसलिये नगर के सभी घरो से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण किया जाये।

उन्होने बैठक में निर्देशित किया नगर में ऐसे नागरिक व दुकानदार जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते है उन पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्पॉट फाईन दल के अलावा झोन प्रभारी भी करेंगे।

कलेक्टर पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया कि हरमाला रोड क्षेत्र में फल-फ्रूट के थोक विक्रेता अधिक है तथा वहां कचरा भी अधिक मात्रा में निकलता है, कचरा संग्रहण कार्य के लिये बडा वाहन लगाया जाये इसके पश्चात भी खुले में या नाले नालियों में कचरा पाया जाता है तो उन पर बड़े जुर्माने की कार्यवाही की जाये साथ ही ऐसे संस्थान जहां कचरा अधिक मात्रा में निकलता है उन संस्थानों यूजर्स चार्जेस लिया जाये। बैठक में उन्होने निर्देशित किया कि व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रातः सफाई कार्य पश्चात दुसरी शिफ्ट में सफाई का कार्य ना कराते हुए रात्रि में सफाई का कार्य कराया जाए। वार्डों में पर्याप्त सफाई कार्य नहीं होने पर उन्होने निर्देशित किया कि सुपरविजन हेतु नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाये क्योंकि किसी भी कार्य का सुपरविजन नियमित व सही ढंग से होगा तो वह कार्य सही से होगा।

सफाई कार्य की बैठक के पश्चात कलेक्टर पुरुषोत्तम ने नगर निगम के राजस्व विभाग व विकास शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर निगमकी विक्रय योग्य अचल संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर संपत्ति विक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

प्रसारण

प्रसारण 17/7/21

प्रदेश में नगरीय निकाय व पंचायत आम चुनाव की तैयारी

निकायों के लिए दो व पंचायतों के लिए तीन चरणों में होगा मतदान

स्वदेश ब्यूरो, भोपाल

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों व पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पंचायतों से पहले नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। कोविड को ध्यान में रखते हुए निकायों के लिए मतदान दो व त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए तीन चरणों में होगा। यह निर्णय गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं। इनमें से 347 में आम चुनाव कराये जाना है। इनमें 16 नगर निगम भी शामिल हैं। शैष 60 निकायों को छोड़ उक्त सभी निकायों का कार्यकाल करीब छह माह पूर्व खत्म हो चुका है। इसे देखते हुए चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पूर्व ही कराए जाने थे,ये लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इनमें विलंब हुआ। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण व टीकाकरण कार्यक्रम को देखते हुए आयोग ने अब चुनाव कराने का फैसला लिया है।

पहले चरण में 155 निकायों के लिए होगा मतदान: इसी तारतम्य में गुरुवार को आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि पहले नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। इसके लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 155 और दूसरे में 192 निकायों के लिए चुनाव होंगे। निकाय चुनाव के लिए कुल 19 हजार 955 मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। आयोग मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन गत 3 मार्च को कर चुका है।

विस में संशोधित विधेयक लाने की तैयारी

आज संपन्न बैठक में आयोग ने महापौर व अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली (मौजूदा व्यवस्था अनुसार)से कराने की बात कही,लेकिन राज्य मंत्रि परिषद उक्त पदों के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय ले चुकी है। इसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाना था,लेकिन इसी बीच राज्य विधानसभा के मानूसन सत्र के लिए अधिसूचना जारी होने से इसे टाल दिया गया। अब इसके लिए विधानसभा के अगले सत्र में संबंधित संशोधित विधेयक लाने की तैयारी है। दरअसल,उक्त पदों के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की व्यवस्था भाजपा शासनकाल में पूर्व से लागू रही है लेकिन तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सियासी कारणों से विधानसभा में संशोधित विधेयक पेश कर इसे पलट दिया था।

तो नए साल में निकायों में होगी नई सरकार

आयोग की उक्त तैयारी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नगरीय निकायों के चुनाव इस साल के अंत तक पूरे करा लिए जाएं। ऐसा हुआ तो नए साल में नगरीय निकायों को नई सरकार मिलेगी। वहीं पंचायत चुनाव ग्रीष्म काल तक कराए जा सकते हैं।

23 हजार 912 सरपंच चुने जाएंगे

बैठक में तय हुआ कि त्रि-स्तरीय पंचायतों(जिला,जनपद व ग्राम) के चुनाव 3 चरण में करवाये जायेंगे। ग्राम पंचायतों में पंच के 3 लाख 77 हजार 551, सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत सदस्य के 6 हजार 833, जिला पंचायत सदस्य के 904, उप सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 313 और जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 52 पदों के लिए मतदान होगा।

कोविड अनुकूल व्यवहार जरूरी

निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने तैयारियों को लेकर प्रत्येक व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मतदान उपरांत उपयोग की जाने वाली अमिट स्याही की खरीदी,निकाय चुनाव में ईवीएम रखने वाले स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हर स्तर पर किया जाए।

आरक्षण का मामला शीघ्र सुलझने के आसार

प्रदेश के करीब 83 निकायों में पदों की आरक्षण प्रक्रिया का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। दरअसल,आयोग की उक्त प्रक्रिया को ग्वालियर खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। इस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आयोग के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। माना जा रहा है कि आरक्षण प्रक्रिया में आवश्यक सुधार कर यह मामला अब शीघ्र सुलझा लिय जाएगा। ऐसा हुआ तो निकाय चुनाव इसी साल हो सकेंगे।

स्वदेश

स्वदेश 17/7/21

कोरोना संक्रमण नहीं फैले; सौहार्दपूर्ण रूप से त्योहारों का आयोजन होगा

रतलाम। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक गुरुवार शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि कोरोना काल के दृष्टिगत संक्रमण नहीं फैलें, शासन की गाइड लाइन का पालन होगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार आयोजित होंगे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शांति समिति के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि शासन द्वारा कोई नया आदेश जारी होता है तभी सभी सदस्यों को विश्वास में लेकर परिवर्तन किया जा सकता है।

सभी से कोविड-अनुकूल व्यवहार रखने की अपील कलेक्टर द्वारा की गई। एक निश्चित सीमा में अधिकाधिक टीकाकरण होने पर ही हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि कोई वृद्धजन टीकाकरण से वंचित है, टीकाकरण केंद्र पर आने में असमर्थता हो रही है तो वैक्सीनेशन टीम द्वारा घर जाकर भी टीका लगाया सकता है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा बैठक में उपस्थित एसडीएम शहर को निर्देशित भी किया गया। कलेक्टर ने यह भी बताया कि शहर में वृद्धाश्रम, कुष्ठ रोगियों की बस्ती तथा ऐसे ही अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन टीम को पहुंचाकर वैक्सीनेशन कराया गया है। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा आगामी त्यौहारों के आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की रूपरेखा बताई गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि शांति समिति के निर्णयों का खासतौर पर कोरोना से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली दिनचर्या की जानकारी आमजनों को अपने क्षेत्र में पहुंचाकर देवें। बैठक में शहर काजी श्री अहमद अली, श्री गोविंद काकानी, श्री मनोहर पोरवाल, श्री प्रदीप उपाध्याय, श्रीमती यास्मीन शैरानी, श्री महेंद्र गादिया, श्री राजेश मूणत, श्री राजीव रावत, श्री प्रवीण सोनी, श्री पवन सोमानी, श्री सलीम आरिफ, श्री मधु पटेल, श्री दिनेश राठौर, एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत, श्री एम.एल. आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पाटीदार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया आदि उपस्थित थे।

स्वतंत्र रतलाम 17/7/21

सोमवार को होगा कोविड टीकाकरण

रतलाम। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि जिले में 17 जुलाई शनिवार और 18 जुलाई रविवार को कोविड संबंधित टीकाकरण सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। सोमवार 19 जुलाई को कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगेंगे।

लगातार तीसरे दिन एक भी नया पाजिटिव नहीं

रतलाम। जिले में लगातार तीसरे दिन मंगलवार को एक भी नया पाजिटिव केस सामने नहीं आया। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 13 है। जिले में अब तक 17497 पाजिटिव केस सामने आ चुके हैं, वहीं 17173 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। मौत का कुल आंकड़ा 311 है।

नईदुनिया 17/7/21

टीकाकरण 19 जुलाई को किया जाएगा

रतलाम. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि जिले में 17 जुलाई शनिवार और 18 जुलाई रविवार को किसी भी प्रकार का कोविड संबंधित टीकाकरण सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। आगामी कोविड टीकाकरण सोमवार 19 जुलाई को किया जाएगा।

कोविड संक्रमित के लिए विशेष परीक्षा केंद्र

रतलाम. आगामी 25 जुलाई को राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 आयोजित की जा रही है। जिले में कोविड संक्रमित अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विनोबा अंबेडकर नगर आईटीआई के पीछे स्थापित किया गया है।

पत्रिका 17/7/21

अब 19 जुलाई को होगा टीकाकरण

रतलाम। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि रतलाम जिले में 17 जुलाई शनिवार और 18 जुलाई रविवार को किसी भी प्रकार का कोविड संबंधित टीकाकरण सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। आगामी कोविड टीकाकरण सोमवार 19 जुलाई को किया जाएगा

पीपुल्स 17/7/21

बड़ी लाइन से पानी नहीं मिल रहा बोरवेल भी खराब

रतलाम (नप्र)। शहर में जल वितरण व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी है। मंगलवार से गुरुवार तक लगातार मोरवानी फिल्टर प्लांट की बिजली लाइन में हुए फाल्ट से सप्लाई बाधित होने के बाद अब स्थिति सामान्य होने में चार से पांच दिन का समय लग सकता है। जल वितरण समय पर नहीं होने से नाराज दो मुंह की बावड़ी क्षेत्र के रहवासी शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे नगर निगम पहुंचे और जलप्रदाय विभाग प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य को समस्या से अवगत कराया। भाजपा युवा नेता हार्दिक मेहता के साथ आई वार्ड 39 की महिलाओं ने बड़ी लाइन से पानी नहीं मिलने, खराब बोरवेल में सुधार नहीं होने से पानी की किल्लत की जानकारी दी। आचार्य ने आपूर्ति जल्द सामान्य करने की बात कही।

नईदुनिया 17/7/21

आयुष्मान कार्ड बनानेउचित मूल्य की दुकानों पर शिविर

रतलाम । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डो की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड वार्डवार बनाये जाने के तहत गुरूवार को वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61, रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान विनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे। उक्त वार्डो की उचित मूल्य की दुकानों पर 14 जुलाई बुधवार को 199 व 15 जुलाई को 236 कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 2978 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडी, आधार कार्ड, खाद्यान्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

नवभारत 17/7/21

जिले में रात्रि 11 से 6 तक रहेगा नाईट कर्फ्यू

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी 31 जुलाई की प्रात: 6 बजे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावित रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की क्षमता 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।

नवभारत 17/7/21

स्वच्छता पखवाड़ा 31 जुलाई तक

रतलाम, नप्र। जनशिक्षण संस्थान स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। 31 जुलाई तक मनाए जाने वाले पखवाड़े की शुरुआत कल हुई।

प्रधानमंत्री कौशल योजना के जितेन्द्र जायसवाल ने कौशल विकास योजनाओं की जानकारी देने के साथ कोविड 19 की दूसरी लहर की जानकारी दी। सुभाष नगर, खटीक मोहल्ला, दीनदयाल नगर के प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे।

प्रभात किरण 18/7/21

जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा

स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे

रतलाम ● स्वदेश समाचार

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी 31 जुलाई की प्रात: 6 बजे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिले में रात्रि 11 से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावित रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की क्षमता 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल

विवाह समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों की सूची देना होगी

का पालन करना बंधनकारी होगा।

समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19, प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

विवाह समारोह में शामिल अतिथियों की सूची थाना प्रभारी को देना होगी

समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा। समस्त सहभागियों को दो दिवस पूर्व आरटीपीसीआर अथवा आरएटी करवाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

वैक्सीनेशन जरूरी

प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधकों द्वारा यह प्रयास किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठान पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

6 व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

रुल्स ऑफ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रुप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती है, वहां वह छूट रहेगी। अन्तर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनिटाईजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा।

स्वदेश

स्वदेश 17/7/21

सभी घरों से शत प्रतिशत कचरा इकट्ठा किया जाए

कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को दिए निर्देश

पीपुल्स संवाददाता ● रतलाम
मो.नं. 9425195101

नगर को साफ-स्वच्छ व सुंदर बनाए जाने तथा नगर निगम की आय में वृद्धि करने के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ निगम अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में सफाई कार्य व निगम की अचल संपत्तियों की जानकारी लेकर सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में किये जा रहे सफाई कार्य की जानकारी लेकर एक सप्ताह में और अधिक सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में कचरा तब दिखाई देता है जब 100 प्रतिशत कचरे का संग्रहण नहीं हो रहा होता है इसलिए नगर के सभी घरों से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण किया जाए।

बैठक में उन्होंने निगम अधिकारिया को निर्देशित किया कि शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रातः सफाई कार्य पश्चात दूसरी शिफ्ट में सफाई का कार्य नहीं कराते हुए रात में सफाई करवाएं। रात्रिकालीन सफाई में 20-20 की संख्या में पुरुष कर्मचारी लगाकर सफाई का कार्य किया जाए व निकलने वाले कचरे के संग्रहण के लिये चारो झोन में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन भी लगायें। इसके अलावा मुख्य मार्गों की रात्री में भी सफाई कराये जाने के निर्देश दिए।

पिपुल्स समाचार 17/7/21

दुनिया पर गहराया तीसरी लहर का साया

नीलू रंजन • नई दिल्ली

कोरोना से जंग

- देश के लिए अगले तीन से चार महीने अहम
- पीएम ने अत्यधिक संक्रमण दर वाले राज्यों के सीएम के साथ की बैठक

दुनिया पर कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा गहरा गया है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आगाह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक संक्रमण वाले छह राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका के माध्यम से संक्रमण पर तत्काल लगाम लगाने की सलाह दी। वहीं नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) और कोरोना टीकाकरण पर गठित टास्कफोर्स के प्रमुख डा. वीके पाल तीसरे लहर के मद्देनजर भारत के लिए अगले तीन-चार महीने को अहम बताया है।

महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत बताई। उन्होंने इस संबंध में हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी लहर के पहले जनवरी में इसी तरह से केरल और महाराष्ट्र में संक्रमण बढ़ने लगे थे। विशेषज्ञों ने कहा था कि जिन राज्यों में संक्रमण पहले तेजी से बढ़ा था, उनमें पहले गिरावट आएगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल के मामले में यह देखने को नहीं मिल रहा है। इन दोनों राज्यों में संक्रमण में बढ़ोतरी बरकरार है। जिन छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बात की, उनमें जुलाई महीने के कुल संक्रमण का 80 फीसद मामले मिले हैं और 84 फीसद मौतें हुई हैं, जो चिंता की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिक संक्रमण बने रहने से वायरस के म्यूटेशन का खतरा भी बढ़ जाता है और नए स्वरूप में वह अत्यधिक घातक हो सकता है।

स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती पर बल : तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को स्वास्थ्य ढांचे को खासकर ग्रामीण इलाकों में मजबूत करने को कहा और इसके लिए केंद्र की ओर से जारी 23 हजार करोड़ रुपये के पैकेज के इस्तेमाल की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को पीएम-केयर फंड से आक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने में हो रही देरी की ओर भी ध्यान दिलाया। इन छह राज्यों में कुल 332 संयंत्र लगाए जाने हैं, जिनमें से अभी तक मात्र 53 ही चालू किए जा सके हैं। उन्होंने बाकी आक्सीजन उत्पादन संयंत्र को जल्द से जल्द लगाने को कहा।

दैनिक जागरण 17/7/21

मंत्री बोले- जींस, टी-शर्ट नहीं... ड्रेस-कोड तैयार किया

भोपाल। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि नगर निकाय संस्थाओं में ड्रेस-कोड पूरी कड़ाई से लागू होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को जींस और टी-शर्ट नहीं पहनने दें। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी नगर निगम और पालिका अधिकारियों को कहा गया है कि ड्रेस-कोड का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। 2019 से नगरीय प्रशासन विभाग ने ड्रेस-कोड लागू किया था। इसके मुताबिक पुरुष कर्मचारियों को आसमानी नीले रंग की शर्ट और नेवी ब्ल्यू रंग की पैंट पहनना जरूरी है, जबकि महिलाओं के लिए नीली साड़ी या कुर्ता और नेवी ब्ल्यू सलवार तय की गई थी।

मध्यप्रदेश में नई तैयारी

प्रभात किरण 18/7/21

111 देशों में पहुंच चुका कोरोना का डेल्टा स्वरूप

दुनिया में आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर : डब्ल्यूएचओ

- डेल्टा वायरस खतरनाक, ज्यादा सतर्क और सावधान रहें

एजेंसी, जीनेवा।

भारत में भले ही कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का कहना है कि इसने दस्तक दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुखिया टेड्रोस अधानोम गेब्रियेसस ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अपने शुरुआती दौर में है। दुनिया भर में कोरोना केसों और मौतों के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने को लेकर चेतावनी जारी करते हुए उन्होंने यह बात कही। टेड्रोस ने कहा, दुर्भाग्य से हम कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के शुरुआती दौर में हैं। दुनिया में कोरोना संकट से निपटने के लिए बनी आपातकालीन समिति को संबोधित करते हुए डब्ल्यूएचओ के मुखिया ने यह बात कही। टेड्रोस ने कहा, डेल्टा वैरिएंट अब दुनिया के 111 देशों में पहुंच चुका है। हमें आशंका है कि यह जल्दी ही दुनिया

पाबंदियों में छूट से जोखिम बढ़ा

कई राज्य पाबंदियों में ढील दे रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, इस वजह से तीसरी लहर का जोखिम और ज्यादा हो गया है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है। पहले भारत में औसतन 40 लाख डोज हर दिन लगाए जा रहे थे। अब यह संख्या 34 लाख तक आ गई है। अब 45 फीसदी केस ग्रामीण इलाकों में सामने आ रहे हैं। देश के ज्यादातर केस 20 फीसदी जिलों में मिल रहे हैं। यहां दूसरी लहर का ही असर खत्म नहीं हुआ है।

नियम नहीं मानने से बढ़े मामले

एक बार फिर से दुनिया भर में कोरोना केसों में इजाफा होता दिख

कलेक्टर ने निगम आयुक्त के साथ अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक ली

निगम की अचल संपत्तियों के विक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएं

रतलाम ● स्वदेश समाचार

नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाए जाने तथा नगर निगम की आय में वृद्धि किए जाने हेतु निगम प्रशासक एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ निगम अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में सफाई कार्य व निगम की अचल संपत्तियों की जानकारी लेकर सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने व निगम की अचल संपत्तियों के विक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में किए जा रहे सफाई कार्य की जानकारी लेकर एक सप्ताह में और अधिक सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में कचरा तब दिखाई देता है जब 100 प्रतिशत कचरे का संग्रहण नहीं हो रहा होता है इसलिए नगर के सभी घरों से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया नगर में ऐसे नागरिक व दुकानदार जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते है उन पर स्पॉट फाईन की कार्रवाई स्पॉट फाईन दल के अलावा झोन प्रभारी भी करेंगे। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि हरमाला रोड क्षेत्र में फल-फ्रूट के थोक विक्रेता अधिक है तथा वहां कचरा भी अधिक मात्रा में निकलता है, कचरा संग्रहण कार्य के लिए बड़ा वाहन लगाया जाए इसके पश्चात भी खुले में या नाले-नालियों में कचरा पाया जाता है तो उन पर बड़े जुर्माने की कार्रवाई की जाए साथ ही ऐसे संस्थान जहां कचरा अधिक मात्रा में निकलता है उन संस्थानों यूजर्स चार्जेस लिया जाए।

8 घंटे काम करना अनिवार्य

उन्होंने कहा कि प्रात: कालीन शिफ्ट में सफाई का कार्य होता है किन्तु दोपहर की शिफ्ट में अधिकांश कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है। नौकरी में कम से कम 8 घन्टे काम करना अनिवार्य होता है। दोपहर की शिफ्ट में कर्मचारी कार्य नहीं करता है तो उसका आधे दिवस का वेतन काटा जाए इसके बाद भी वह लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसके निलंबन/बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए। वार्डो में पर्याप्त सफाई कार्य नहीं होने पर उन्होंने निर्देशित किया कि सुपरविजन हेतु नियुक्त अधिकारी, कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाए क्योंकि किसी भी कार्य का सुपरविजन नियमित व सही ढंग से होगा तो वह कार्य सही से होगा।

निगम की अचल संपत्तियों की जानकारी ली- सफाई कार्य की बैठक के पश्चात कलेक्टर ने नगर निगम के राजस्व विभाग व विकास शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर निगम की विक्रय योग्य अचल संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर संपत्ति विक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

आयोजित बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जीके जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, एमके जैन, सत्यप्रकाश आचार्य, सहायक यंत्री श्याम सोनी, निगम सचिव जसवंत जोशी, उपयंत्री मनीष तिवारी, कमेश पाटीदार, विकास मरकाम, स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, कार्यालय अधीक्षक रामचन्द्र शर्मा, झोन प्रभारी पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान, विराट मेहरा आदि उपस्थित थे।

व्यवसायिक क्षेत्रों में रात्रि में सफाई कार्य किया जाए

बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रात: सफाई कार्य पश्चात दूसरी शिफ्ट में सफाई का कार्य ना कराते हुए रात्रि में सफाई का कार्य कराया जावे। रात्रिकालीन सफाई में महिला कर्मचारी को छोड़कर पुरुष कर्मचारी 20-20 लगाकर सफाई का कार्य किया जाए व निकलने वाले कचरे के संग्रहण के लिए चारो झोन में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन भी लगाए। इसके अलावा मुख्य मार्गो की रात्रि में भी सफाई कराए जाने के निर्देश दिए।

अवैध कब्जे हटाया जाए

बैठक में कलेक्टर को निगम आयुक्त द्वारा राजीव गांधी सिविक सेंटर की 121 संपत्ति, सुभाष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 94 दुकानें, डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी बस स्टैण्ड की दुकान, हॉल, छत, देवरा देव नारायण नगर के 16 प्लॉट, टीआईटी रोड पर रोडवेज को लीज पर दी गई भूमि, अमृत सागर में अतिक्रमण मुक्त की गई भूमि। अर्जुन नगर कॉलोनी में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि। पांजरा पोल की दुकानें व नित्यानन्द मार्केट की दुकानों के बारे में जानकारी दिए जाने पर उन्होंने निर्देशित किया कि विक्रय योग्य संपत्तियों के विक्रय किए जाने हेतु निविदा जारी किए जाने की कार्रवाई किए जाने के साथ ही अवैध कब्जे वाली दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में निगम आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसीगांव में निर्मित एलआईजी फ्लैट व दुकानें, मुखर्जी नगर में निर्मित एमआईजी फ्लैट के ऑन लाईन विक्रय के संबंध में जारी की गई निविदा की जानकारी बैठक में दी।

स्वदेश 17/7/21

अब तक 2978 आयुष्मान कार्ड बनाए

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

आयुष्मान कार्ड वार्डवार बनाये जाने के तहत आज 15 जुलाई गुरूवार को वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61, रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान विनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

उक्त वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर 14 जुलाई बुधवार को 199 व 15 जुलाई को 236 कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 2978 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके है। आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडी, आधार कार्ड, खाद्यान्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

प्रसारण 17/7/21

तीन दिन में 3182 आयुष्मान कार्ड बने

रतलाम | आयुष्मान कार्ड बनाने से वंचित रह गए हितग्राहियों की सुविधा के लिए नगर निगम उचित मूल्य दुकानों पर कार्ड बना रहा है। तीन दिन में अब तक 3182 कार्ड बनाए चुके हैं। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया 14 जुलाई को 199, 15 जुलाई को 236 और शुक्रवार को 204 कार्ड बनाए गए। इससे पहले वार्ड दल भी घर-घर जाकर 2543 हितग्राहियों के कार्ड बना चुके हैं। 3182 आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। शनिवार को वार्ड 1, 2, 3, 4 की उचित मूल्य दुकानों पर कार्ड बनाए जाएंगे।

दै. भास्कर 17/7/21

अब तक तीन हजार कार्ड बनाए

राशन दुकानों पर लग रहा शिविर

रतलाम, नप्र। आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना से छूटे लोगों के कार्ड बनाए जा रहे है। कलेक्टर ने इसके लए हर राशन दुकानों पर शिविर लगवाए है। यहां लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से अब तक दो हजार नौ सौ अठहत्तर आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके है। कल वार्ड 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, रिटायर्ड कॉलोनी अटैच दुकान, विनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, वार्ड 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा, वार्ड 3 में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित जवाहर नगर, अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में आयुष्मान कार्ड बनाए। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए समग्र आईडी, आधार कार्ड, खाद्यान्न पात्रता पर्ची होना जरूरी है।

प्रभात किरण 16/7/21

कलेक्टर के सफाई व्यवस्था को सप्ताहभर में सुधारने के निर्देश

रतलाम। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने तथा नगर निगम की आय में वृद्धि किये जाने हेतु कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ निगम अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में सफाई कार्य व निगम की अचल संपत्तियों की जानकारी लेकर सफाई व्यवस्था

- **निगम अधिकारियों की ली बैठक**
- **संपतियों के विक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने का कहा**

को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने व निगम की अचल संपत्तियों के विक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में किये जा रहे सफाई कार्य की जानकारी लेकर एक सप्ताह में ओर अधिक सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि शहर में कचरा तब दिखाई देता है जब 100 प्रतिशत कचरे का संग्रहण नहीं हो रहा होता है इसलिये नगर के सभी घरो से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण किया जाये। उन्होने बैठक में निर्देशित किया नगर में ऐसे नागरिक व दुकानदार जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते है उन पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्पॉट फाईन दल के अलावा झोन प्रभारी भी करेंगे।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि हरमाला रोड क्षेत्र में फल-फ्रूट के थोक विक्रेता अधिक है तथा वहां कचरा भी अधिक मात्रा में निकलता है, कचरा संग्रहण कार्य के लिये बडा वाहन लगाया जाये इसके पश्चात भी खुले में या नाले नालियों में कचरा पाया जाता है तो उन पर बड़े जुर्माने की कार्यवाही की जाये साथ ही ऐसे संस्थान जहां कचरा अधिक मात्रा में निकलता है उन संस्थानों यूजर्स चार्जेस लिया जाये।

कलेक्टर के निर्देश : मुख्य मार्ग की

अलावा मुख्य मार्गो की रात्री में भी सफाई कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्रातः कालीन शिफ्ट में सफाई का कार्य होता है किन्तु दोपहर की शिफ्ट में अधिकांश कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है नौकरी में कम से कम 8 घन्टे काम करना अनिवार्य होता है। दोपहर की शिफ्ट में कर्मचारी कार्य नहीं करता है तो उसका आधे दिवस का वेतन काटा जाये इसके बाद भी वह लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसके निलबंन/बर्खास्त करने की कार्यवाही की जाये। वार्डो में पर्याप्त सफाई कार्य नहीं होने पर उन्होने निर्देशित किया कि सुपरविजन हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाये क्योंकि किसी भी कार्य का सुपरविजन नियमित व सही ढंग से होगा तो वह कार्य सही से होगा।

नगर निगम की अचल संपतियों ली जानकारी

सफाई कार्य की बैठक के पश्चात कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने नगर निगम के राजस्व विभाग व विकास शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर निगम की विक्रय योग्य अचल संपत्तियो की जानकारी प्राप्त कर संपत्ति विक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम को निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा राजीव गांधी सिविक सेंटर की 121 संपत्ति, सुभाष शापिंग काम्पलेक्स की 94 दुकाने, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी बस स्टेण्ड की दुकान/हॉल/छत, देवरा देव नारायण नगर के 16 फ्लेट, टीआईटी रोड पर रोडवेज को लीज पर दी गई भूमि, अमृत सागर में अतिक्रमण मुक्त की गई भूमि, अर्जुन नगर कॉलोनी में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि, पांजरा पोल की दुकानें व नित्यानन्द मार्केट की दुकानो के बारे में जानकारी दिये जाने पर उन्होने निर्देशित किया कि विक्रय योग्य संपत्तियो के विक्रय किये जाने हेतु निविदा जारी किये जाने की कार्यवाही किये जाने के साथ ही अवैध कब्जे वाली दुकानो को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के निर्देश दिये।

करे रात्रि में सफाई

बैठक में उन्होने निर्देशित किया कि व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रातः सफाई कार्य पश्चात दुसरी शिफ्ट में सफाई का कार्य ना कराते हुए रात्री में सफाई का कार्य कराया जाये। रात्रिकालीन सफाई में महिला कर्मचारी को छोड़कर पुरूष कर्मचारी 20-20 लगाकर सफाई का कार्य किया जाये व निकलने वाले कचरे के संग्रहण के लिये चारो झोन में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन भी लगायें। इसके

इसके अलावा बैठक में निगमायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसीगांव में निर्मित एलआईजी फ्लेट व दुकानें, मुखर्जी नगर में निर्मित एमआईजी फ्लेट के ऑन लाईन विक्रय के संबंध में जारी की गई निविदा की जानकारी बैठक में दी। आयोजित बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जीके जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, एमके जैन, सत्यप्रकाश आचार्य, सहायक यंत्री श्याम सोनी, निगम सचिव जसवंत जोशी, उपयंत्री मनीष तिवारी, राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, कार्यालय अधीक्षक रामचन्द्र शर्मा, झोन प्रभारी पर्वत हाड़े, किरण चौहान,

नवभारत 17/7/21

शहर में 126 किमी की सड़क सुधारने का दावा, 2022 तक करना होगा इंतजार

सीएम की घोषणा के 162 दिन बाद भी याद नहीं सड़क के लिए शासन से बजट की मांग

पत्रिका एक्सपोज

रतलाम. शहर की बाहरी व आंतरिक मिलाकर 126 किमी सड़क को बनाने का दावा नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने हाल ही में अपने प्रभाव वाले पटरी पार क्षेत्र में इसके लिए निरीक्षण भी किया। इन सड़क के लिए 4 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने रुपए देने की घोषणा की थी। घोषणा के 162 दिन बाद तक नगर निगम को शासन से राशि लेने की याद नहीं है। नियम अनुसार इसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजना था, जो नगर निगम करना भूल गई। अब मानसून के बाद नगर निगम चुनाव होंगे, ऐसे में सड़क बनने का काम 2022 में ही शुरू होगा, शहर को हिचकोले देती सड़क पर ही परिवहन करना होगा।

नगर निगम के सामने ही सड़क है खराब

असल में शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने पटरी पार क्षेत्र में खराब सड़क को सुधारने के लिए नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण में भाजपा के प्रभाववाले पटरी पार क्षेत्र के वार्ड शामिल किए गए। निगम की तरफ से दावा यह किया गया की 126 किमी की जर्जर या खराब हो गई सड़कों को अब तेजी से सुधारा जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि निगम के अधिकारी 4 फरवरी को हुई सीएम चौहान की घोषणा के बाद से अब तक शासन को सड़क के निर्माण के लिए जो राशि मिलना है, उसके बारे में मांग करना ही भूल गए।

शहर के अंतिम छोर मुक्तिधाम क्षेत्र की खराब सड़क

यह है हकीकत

निगम अधिकारियों के अनुसार 126 किमी की सड़क में से करीब 76 किमी की सड़क वो है जो सीवरेज काम के चलते खराब हुई है। निगम ने इसके लिए न तो वर्क इस्टीमेट बनाया है न ही टेंडर जारी किया है। 15 सितंबर तक कोई निर्माण कार्य नहीं होंगे। 15 सितंबर के बाद नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लगेगी। नई परिषद दिसंबर में आएगी। जनवरी 2022 तक ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। पत्रिका।

हमारी कंपनी नियम अनुसार काम करती है। एक सड़क की खुदाई के बाद काम करने व नया निर्माण करने में 15 से 20 दिन लगते है। हो सकता है कही काम रह गया हो, तो सूचना मिलने पर पूरा किया जाएगा। - **बीएल वाघेला,** डायरेक्टर, वरुडी कंसट्रक्शन

शहर में कई प्रकार के निर्माण कार्य चल रहे है। मानसून के दौरान जारी रहेंगे। इसी प्रकार जरूरत अनुसार अन्य कार्य भी शुरू किए जाकर तेजी से पूरे किए जाएंगे। - **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

पत्रिका 17/7/21

कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

31 जुलाई तक जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू

प्रसारण न्यूज़ * रतलाम

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी 31 जुलाई की प्रातः 6 बजे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावित रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेलें आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की क्षमता 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा।

समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, माध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा। समस्त सहभागियों को दो दिवस पूर्व आरटीपीसीआर अथवा आरएटी करवाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

रूल्स आफ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, जहां पर स्पष्ट रुप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो, वहां यह छूट रहेगी। अन्तरराज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनिटाईजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा।

इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधकों द्वारा यह प्रयास किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठान पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

प्रसारण

प्रसारण 17/7/21

रतलाम में 31 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

पीपुल्स संवाददाता ● रतलाम

मो.नं. 9425195101

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी 31 जुलाई की प्रातः 6 बजे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।

जारी आदेश अनुसार रतलाम जिले में रात्रि 11 से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावित रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की क्षमता 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

रूल्स ऑफ सिक्स

अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रूप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो, वहां यह छूट रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाई की जाएगी।

समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा।

पिपुल्स समाचार 17/7/21

समय-सीमा में पूरी करें नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारी

आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री सिंह ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

स्वतंत्र एलान रिपोर्टर

रतलाम। नगरीय निकाय आम निर्वाचन की तैयारी समय-सीमा में पूरी करें। निर्वाचन से संबंधित जो कार्यवाही शेष है, उसकी सूची बनायें और प्रत्येक कार्य समय पर करें। तैयारी पूरी होते ही आम निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आगामी आम निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिये। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति के मद्देनजर वर्तमान में आम निर्वाचन करवाया जाना संभव है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पहले से ही आम निर्वाचन बहुत लेट हो चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि पहले नगरीय निकायों के निर्वाचन करवाये जायेंगे। श्री सिंह ने प्रत्येक सेक्शन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नई अमिट स्याही क्रय करने के आदेश जल्द जारी करें। नगरीय निकायों में बनने वाले स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की व्यवस्था करें। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हर स्तर पर किया जाए।

347 नगरीय निकायों में होगा चुनाव-बैठक में जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं। इनमें से 347 में आम निर्वाचन कराये जाना है। दो चरण में मतदान होगा। प्रथम चरण में 155 और दूसरे चरण में 192 नगरीय निकायों में मतदान कराया जायेगा। महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इन 347 नगरीय निकायों में सभी 16 नगर निगम शामिल हैं। कुल 19 हजार 955 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। कुल अभी 60 नगरीय निकायों का कार्यकाल बाकी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को हो चुका है। नगरीय निकायों में मतदान ई.व्ही.एम. से कराये जायेंगे। पंचायत -आम निर्वाचन 3 चरण में करवाये जायेंगे। त्रि-स्तरीय पंचायतों में पंच के 3 लाख 77 हजार 551, सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत सदस्य के 6 हजार 833, जिला पंचायत सदस्य के 904, उप सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 313 और जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 52 पदों का निर्वाचन कराया जायेगा। बैठक में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजयसिंह, उप सचिव श्री अरुण परमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। स्वतंत्र

स्वतंत्र एलान 17/7/21

14 जुलाई को कलेक्टर ने किया था पौधारोपण

हनुमान ताल पर पौधरोपण के पहले ही सूखने लगे रखे पौधे

रतलाम @ पत्रिका. जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने गत 14 जुलाई को बड़े पैमाने पर पौधारोपण शुरू करते हुए हनुमान ताल पर 4000 पौधे लगाने की शुरुआत की थी। आयोजन में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के साथ ही निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया भी मौजूद थे। पौधारोपण के बाद वहां शेष बचे पौधे लगाने के लिए पाल के किनारे रख दिए गए किंतु दो दिन बाद भी इन्हें नहीं लगाए जाने से ये पौधे सूखने लगे हैं।

विशेष अभियान के तहत 14 जुलाई को दिनभर वहां पौधे लगाए गए किंतु एक ही दिन में चार हजार पौधे लगाए नहीं जा सके तो अगले दिन के लिए बचे हुए पौधे लगाने का काम छोड़कर पौधे भी वहीं पर रख दिए गए। शुक्रवार को वहां जाकर देखा तो वहां पौधों ऐसे ही पड़े हुए मिले जिन्हें लगाया नहीं गया। कड़ी धूप और उमस के मौसम में अब ये पौधे बिना पानी के लगाने से पहले ही मुरझाने लगे हैं। माना जा रहा है कि पूरे तालाब के किनारे एक हजार से ज्यादा पौधे बिना लगाए ढेर के रूप में रखे हुए हैं। कुछ ढेर के रूप में हैं तो कुछ बिखरे हुए जहां-तहां पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्रिका

पत्रिका 17/7/21

31 जुलाई तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे नहीं निकल पाएंगे घर से बाहर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रकिया की संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी 31 जुलाई की सुबह 6 बजे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। नए नियम अनुसार अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से निकलने पर रोक रहेगी।

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिले में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावित रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशिक्षण आयोजन हाल की क्षमता 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।

टॉकिज खुल सकेंगे

समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगी। सिनेमाघर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना होगा। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे।

रूल्स ऑफ सिक्स

मंजूरी वाली गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रूप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो, वहां यह छूट रहेगी। अन्तरराज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा।

रेस्टोरेंट एवं क्लब रात 10 बजे तक चलेंगे

रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह

दीनदयाल रसोई रोज एक घंटे से भी अधिक देर से खुल रही

सुबह 10 बजे खुलने का समय, खुल रही 11 बजे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जरूरतमंदों को दस रुपए में भरपेट भोजन मुहैया कराने के लिए नगर निगम ने शहर के तीन स्थानों पर दीनदयाल रसोई शुरू की है। इसमें राजीव गांधी सिविक सेंटर, त्रिपोलिया गेट और अंबेडकर भवन शामिल है। इनमें भोजन मिलने का समय सुबह 10 बजे से है लेकिन त्रिपोलिया गेट स्थित दीनदयाल रसोई तो सुबह 11 बजे तक भी नहीं खुल रही है। शुक्रवार को लोग रसोई खुलने का इंतजार कर रहे थे लेकिन ताला ही लगा था। जबकि रसोई में भोजन का समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक है। जबकि केंद्र के बाहर बोर्ड पर रसोई खुलने का समय भी दर्ज कर रखा है। ऐसे में यदि कोई भोजन करने पहुंच रहा है तो उसे वापस लौटना पड़ रहा है। जबकि यह योजना सीएम की प्राथमिकता वाली योजना है। इसके बावजूद रसोई बेसमय खुल रही है।

त्रिपोलिया गेट स्थित दीनदयाल रसोई में सुबह 11 बजे लगा ताला।

दैनिक भास्कर 17/07/21